संख्या–207/प0आ0/2004–10 पर्य0/2001

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग–

देहरादून:दिनांक 23 मार्च, 2004

विषय–वित्तीय वर्ष 2003–04 में पर्यटन विकास चालू योजनान्तर्गत बड़कोट में पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–116/प0आ0/2002–10 पर्य/2001 दिनांक 29 मार्च, 2003 एवं आपके पत्रांक–590/2–6–371/02–2003 दिनांक 10 मार्च, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय बड़कोट में पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु रू0 20.46 लाख के आगणन के सापेक्ष अन्तिम किस्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 11.46 लाख (रूपये ग्यारह लाख छियालिस हजार मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जाती है कि इसके उपरांत योजना में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

3–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत धनराशि के उपरान्त लागत में कोई भी पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। व्यय करते समय टैण्डर/ कुटेशन विषयक नियमों का पालन किया जायेगा।

7–कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2004 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनागत–00–104–संवर्द्धन तथा प्रचार–11–पर्यटन विकास चालू योजना– 42–अन्य व्यय मानक मद के नामें डाला जायेगा।

10– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या– 3309/वि0अनु0–3/2004 दिनॉक 21 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0– प0310/2002–10 पर्य/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
4– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
6– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
8– नगर पंचायत, बडकोट ।
9– वित्त अनुभाग–3।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।